698
10/12/12

खण्ड-8 संख्या-13

दशम
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार तिथि 14 जुलाई, 1992 ई०।

सत्यमेव जयते

डा0 शकील अहमदः- अध्यक्ष महोदय, इस बिन्दु पर सभी लोग सहमत है कि सदन की कमिटी बनाकर इसकी जांच करा दी जाय।

अध्यक्ष :-मैं सदन की समिति बना दूंगा, जो इसकी जांच करेगी।

(ग) पूँजी उपलब्ध कराना :

श्री रामनाथ ठाकुरः- अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री बहुत कारणों से बंद है। जिसमें प्रमुख कारण कार्यशील पूँजी की अनुपलब्धता रही है। राष्ट्रीयकृत बैंक, यू०को० बैंक द्वारा दिनांक-18.12.91 के पत्र द्वारा कार्यशील पूंजी को उपलब्धा के लिए दिया गया, 145 लाख रुपये को स्वीकृति रद्द किये जाने के फलस्वरूप बिहार राज्य सहकारिता बैंक से 138 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए कम्पनी द्वारा दिनांक 25.1.92 द्वारा दिया गया है। उद्योग विभाग के द्वारा बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड के प्रशासक को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया गया है। बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड द्वारा सवैधानिक रूप से मगध स्पन पाईप को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की सहमति दी गयी है। यह मामला सहकारिता विभाग के विचाराधीन है।

श्री खगेन्द्र प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूँ कि क्या सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय पूंजी देने की अपनी सहमति प्रदान की है?

श्री महावीर प्रसाद :- महोदय, जवाब में ही कहा गया है कि विभाग ने संवैधानिक रूप से इसकी स्वीकृति दी है। मै। सारी बातों को एक ही बार में,

जो सवाल आप करेंगें, उसका जवाब मैं पहले ही बतला देता हूँ कि युको बैंक द्वारा उनके पत्र दिनांक 18.12.91 से कार्यशील पूंजी की स्वीकृति रद्द। 25.1.92 को कम्पनी द्वारा 138 लाख रुपया की कार्यशील पूंजी सहकारिता बैंक को आवेदन। 3.2.92 को उद्योग विभाग से निगम ने अनुशंसा हेतु अनुरोध किया दिनांक 17.3.92 को मंत्री, उद्योग (वृ० एवं म०) के प्रस्ताव में अनुमोदन प्राप्त हुआ। उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव के पत्रांक 90 दिनांक 25.3.92 द्वारा बिहार राज्य सहकारिता बैंक के प्रशासक को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु अनुशंसा की। राज्य सहकारिता बैंक की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी जून, 92 में प्राप्त हो चुकी है। सहकारिता बैंक ने नवार्ड से सैधान्तिक स्वीकृति हेतु अनुरोध भी किया है। यह मामला अभी सहकारिता विभाग में लंबित है, विचाराधीन है।

श्री खगेन्द्र प्रसाद :-अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि क्या उन्होंने सहमति दी है? मंत्री महोदय, सैधान्तिक रूप से सहमत हैं, फिर आगे मंत्री महोदय कहते हैं कि मामला विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, दलाईलामा की यह फैक्ट्री, 1976 तक इस फैक्ट्री को दलाई लामा ने चलाया हिन्दुस्तान की सबसे पहली अपने ढंग से की यह फैक्ट्री है इस तरह की, यह प्रथम फैक्ट्री है, 1985 में सरकार ने अपने अधीन लिया संयुक्त क्षेत्र में चलने वाली फैक्ट्री में 50 लाख रुपये के रॉ मटेयिरल्स सड़ रहे हैं, वहां पर ऐसी स्थिति है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि सहकारिता विभाग ने यह शर्त लगा रखी है कि जब सरकार गारंटी नहीं देगी, तब तक को-ओपरेटिव बैंक को फाईनेन्स नहीं करने से को-ओपरेटिव विभाग रोक लगा रखी है, वर्किंग कैपिटल को रिलिज करने पर।

श्री महावीर प्रसादः- जैसा कि मैंने कहा सहकारिता विभाग ने सहकारिता बैंक को लिख और सहकारिता बैंक ने सैधान्तिक रूप से स्वीकृत दो है। वह नवार्ड के पास है। सहकारिता विभाग ने हमको यह नहीं कहा कि यह शर्त लगाने है शर्त को गारंटी दी जाए, नहीं दी जाय वह नहीं था कैसे टेलिफोन से सहकारिता सचिव से चार दिन पहले मेरी बातें हुई हैं, वे कहें कि रजिस्ट्रार से इस संबंध में बातें कर रहे हैं। इसकी स्वीकृति दी जायेगी।

श्री खगेन्द्र प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कह रहे है लेकिन मुझे जानकारी है कि सहकारिता विभाग के सचिव और रजिस्टार , दोनों ने ही संचिका में यह बात लिखी है कि सरकार गारंटी दे और इसी के कारण बिना दोनों अधिकारियों के सहमति के वह मामला पेन्डिग है आपने कहा कि विचाराधीन है विचाराधीन शब्द का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वे इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्री को जिस पर बिहार सरकार का करोड़ो रुपये खर्च है- इस संबंध में आप कोई निश्चित तिथि बतला सकते है?

श्री महावीर प्रसाद :- सहकारिता विभाग के पास जो प्रस्ताव आयेगा, उस पर विचार करेंगे और फिर अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे।

श्री राम जतन सिन्हाः- अध्यक्ष महोदय, मेरी नियमापति है, जो रूल्स ऑफ बिज़नेस एक्सयूटिभ है उसमें है टेयर शैल बी मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट दी इसमें किसी सचिव का जिक्र नहीं है। जिस तरह से माननीय मंत्री कह रहे हैं, मंत्री की हैसियत से जवाब होता है, इसलिये मंत्री को जब सदन में जिक्र करना है, तो मंत्री का जिक्र करना चाहिये न कि सचिव का,

ये सचिव का जिक्र नहीं कर सकते हैं। ये मंत्री से बातें करें, इन्टरनली मंत्री सचिव से बातें करेंगे यह सदन की गरिमा नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद :- सदन की गरिमा के अनुकूल ही बातें की है, चूंकि हमने सहकारिता बैंक...

श्री समरेश सिंह :- अध्यक्ष महोदय, विषय है इस कारखाना को चलाने का, विषय है सरकार का करोड़ रुपये लगाने का, उस क्षेत्र को तबाही एवं गरीबी से बचाने का इसका जितना जल्दी हो करना चाहिये।

रजिस्टार और सेक्रेट्री इसको जान-बूझकर लटका रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार को निदेश दें कि रजिस्टार और सचिव जिनमें विलम्बित करने की प्रवृति है, वे मंत्री से बातें करके जल्द-से-जल्द निबटारा करें। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से एक तिथि निर्धारित करें ताकि उस तिथि तक सारे जो विवाद है वे समाप्त हो जायें, बैंक से पैसा चल जाय और बेरोजगार मजदूरों को काम मिले, करोड़ों रुपये की बर्बादी से बचाया जाय।

श्री महावीर प्रसादः- मैंने कहा, आते ही कार्रवाई करेंगे।

(व्यवधान)

ऐसा मैंने कहा कि सहकारिता विभाग में यह लम्बित है। जैसे ही सहकारिता विभाग से उद्योग विभाग में आ जायेगा, मैं बता दूंगा कि क्या कार्रवाई की जायेगी।

श्री राम जतन सिन्हाः-अध्यक्ष महोदय, मेरी नियमापति है। यह सदन है। सरकार

पर आप अंकुश लगावें। यहां सरकार की ओर से जवाब होता है, किसी मंत्री की ओर से नहीं। सरकार जवाब देती है। सरकार के अन्दर कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी होती है। ऐसा जवाब सरकार नहीं दे सकती है कि सहकारिता विभाग से आ जायेगा तब आगे कार्रवाई की जायेगी। सदन के प्रति सरकार उत्तरदायी है, व्यक्ति नहीं।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद :- 30 दिन के अन्दर कार्रवाई कर देंगे।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, रेवन्यु मिनिस्टर आ गये हैं। जो कल के लिये स्थगित हुआ है, आज ही हो जाय।

अध्यक्ष :- पाण्डे जी के बाद।

(घ) श्री मुन्ना चौरसिया की हत्या एवं सम्पति की लूटपाट:

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा:- माननीय सदस्य श्री कृष्णवल्लभ प्रसाद एवं अन्य कई माननीय सदस्यों ने दिनांक 7.6.92 को नालन्दा जिला के खुदागंज थाना के डेउरा गाँव के निवासी मुन्ना चौरसिया की उग्रवादियों द्वारा गोली मार कर की गई हत्या, उनकी संपति की लूट तथा विलास चौरसिया के मकान को ढाहने तथा पुलिस द्वारा इस संबंध में निष्क्रियता की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि :-

दिनांक- 7.6.92 को नालन्दा जिला अन्तर्गत थाना खुदागंज, ग्राम डेहरा में मुन्ना चौरसिया की हत्या गोली मारकर आई०पी०एफ० उग्रवादियों के द्वारा

कर दी गयी तथा मुन्ना चौरसिया को सम्पति लूट ली गयी। इस संबंध में खुदागंज थाना कांड सं०-23 / 92 दिनांक 7.6.92 धारा 147/148/149/452/302/380/ भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। यह बात सत्य है कि विलास चौरसिया का मकान नहीं बल्कि विवादास्पद जमीन पर बने 8 फीट का दिवाल उग्रवादियों ने ढाह दिया और इनके घर में भी सम्पति की लूट की जिसके संबंध में खुदागंज थाना कांड सं० 24/92, दिनांक 7.6.92 धारा- 147/148/452/380/427/ भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।

यह सही है कि घटना तीन बजे दिन की है, लेकिन इसकी सूचना ग्राम इमानदपुर जो डेउरा गाँव के बगल में है के निवासी के द्वारा थाना पर गरीब सवा पांच बजे दी गयी और थाना प्रभारी इस आशय की सनहा पर सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर करीब सवा 6 बजे पहूंचे। तब तक उग्रवादी काफी दूर भाग चुके थे। थाना प्रभारी एवं पुलिस दल ने उनके पलायन की दिशा में काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन उग्रवादी भागने में सफल हो गये।

मुकदमा दर्ज करने में पुलिस ने कोई अनियमितता नहीं बरती। चूंकि दोनों कांडों के पीड़ित एवं परिवार जनों तथा पूरे ग्रामीणों के बीच ही वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में कांड दर्ज किये गये और घटना के अनुपात में अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी धाराओ का इस्तेमाल किया गया है। उक्त डेउरा ग्राम में पुलिस की एक सशस्त्र टुकड़ी ,पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी के साथ घटना के बाद वहां पर कैम्प कर रही है और दिन

एवं रात्रि में गाँव का भ्रमण करती है। अतः उस क्षेत्र में उग्रवादियों का आग्नेसशस्त्र लेकर घूमने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक जान मारने की धमकी गवाहों को देने का प्रश्न है, यह गलत हैं और पूरे गांव की सुरक्षा एवं जान-माल की रक्षा के लिये पुलिस कैम्प कर रही है।

उपरोक्त दोनों कांडो में प्राथमिकी के कुल 17 अभियुक्त हैं और उसमें से 16 अभियुक्त जेल में है। प्राथमिकी के बचे हुये अभियुक्त रामजी प्रसाद, सा० में दीकला, थाना खुदागंज की जप्ती कुर्की दिनांक 16.6.92 को ही

की जा चुकी है। अप्राथमिकी के पांच अभियुक्तों का नाम आया है, जिनमें से दो जेल में हैं और बाकी तीन फरार हैं, जिनके विरूद्ध इश्तिहार का तामिला हो गया है। जप्ती कुर्की तत्काल करने का आदेश थाना प्रभारी, खुदागंज सह अनुसंधानकर्ता को दिया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि पुलिस तत्परता एवं कठिन परिश्रम के कारण ही उपरोक्त कांडों में 18 अभियुक्त जेल में हैं। डेउरा गाँव फिलहाल स्थिति नियन्त्रण में है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिये पुलिस पार्टी एक पुलिस पदाधिकारी ऐवं दण्डाधिकारी के साथ गाँव में कैम्प कर रही हैं।

जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है, नियमानुसार समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु समाहर्त्ता को निदेश दिया जा रहा है।

श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के इस जवाब की चूनौती देता हूँ कि मंत्री जी कहते हैं कि जब उग्रवादी भाग रहे थे, तो पुलिस

उनका पीछा कर रही थी, वह गलत है, बल्कि जिस वक्त उग्रवादी हत्या कर रहे थे, पुलिस अधिकारी उस समय थाना में बैठे हुये थे, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा:- अध्यक्ष महोदय, घटना 3 बजे घटी है और बगल के गाँव के लोगों ने सूचना 5 बजे पुलिस को दी और ज्यों ही सूचना मिली पुलिस बल पीछा की है, अब पुलिस अधिकारी कहां उस वक्त थे, इसकी जाँच मैं करवा दूंगा।

श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, जिस समय पुलिस वहां थी, वहां हत्या और लूटपाट हो रही थी।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- यह सूचना नहीं है, लेकिन इसकी जाँच हम करवा देंगे।

श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद :- क्या सरकार बतायेगी कि डी०एस०पी० के सुपरविजन में जिन व्यक्तियों का नाम आया, उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, लेकिन एस०पी० ने उग्रवादियों के पक्ष में आकर उनलोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी? तो क्या सरकार इसकी जांच गृह सचिव से करवाना चाहती है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इस केस से संबंधित 17 व्यक्तियों को पकड़ कर बन्द कर दिया गया।

श्री रमेन्द्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मामला यह नहीं है, माननीय सदस्य का कहना है कि डी०एस०पी० ने अपने सुपरविजन में जिनका नाम दिया था,

एस०पी० ने कहा कि उनको अरेस्ट नहीं करें, मामला यह है कि सुपरविजन में जो गिरफ्तारियाँ थी, उस पर रोक लगा दिया गया। माननीय सदस्य यह सूचना दे रहे हैं, इसको सरकार ग्रहण करना चाहती है या नहीं?

श्री उपेन्द्र प्रसाद :- निश्चित सूचना ग्रहण करता हूँ।

श्री रमेन्द्र कुमार :- क्या सरकार इसकी जांच होम सेक्रेट्री से करवा रही है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :-हम इसकी जांच गृह सचिव से करवा देंगे।

श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह की हत्यां और लूट पाट होती है, तो सरकार प्रभावित परिवार के आश्रितों को मुआवजा देती है, तो क्या सरकार इस कांड के तहत प्रभावित व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा देना चाहती है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- समाहर्त्ता को इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है और इस संबंध में नियम बना हुआ है, वह किया जायगा।

श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय; क्या यह बात सही है या नहीं कि सरकार ऐसी घटनाओं पर यदाकदा एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा करती रही है, तो क्या सरकार इससे प्रभावित परिवार को वह मुआवजा देना चाहती है या नहीं?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- इसके संबंध में समाहर्त्ता को निर्देश दिया जा चुका है। नियमानुसार मुआवजा दिया जायगा।

श्री महेन्द्र झा "आजाद" :- अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण यों पीछे है,

लेकिन मुझे अत्यन्त आवश्यक कार्यवश सदन से बाहर जाना है, अतः कृपया मेरे ध्यानाकषर्ण को लिया जाता तो मेरा कार्य हो जाता ।

अध्यक्ष :- ठीक है, इसे ही ले लिया जाता है।

(ड़) श्री जीवछ ठाकुर एवं श्री राम स्वारथ ठाकुर की हत्याः

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- माननीय सदस्य श्री महेन्द्र झा आजाद एवं कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड के जोगियारा गाँव में जीवछ ,कामती एवं रामपुकार ठाकुर के बीच झंझट तथा दिनांक 6.2.92 को उसी गांव के श्री जीवछ ठाकुर एवं राम स्वारथ ठाकुर की हत्या तथा हत्यारों की अबतक गिरफ्तारी नहीं होने एवं जिला प्रशासन द्वारा बहादुरपुर प्रखण्ड के सभी लाईसेंसधारी बन्दूक धारियों से बन्दूक जमा करने संबंधी दिये गये आदेश से क्षेत्र मे मचे आतंक की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।।

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 17.5.92 को दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना अन्तर्गत ग्राम मोगियारा में एक बीघा जमीन को लेकर जीवछ कामती एवं राम पुकार ठाकुर के बीच झंझट हुई। इस संबंध में बहादुरपुर थाना कांड सं० - 43 /92 दिनांक 17.5.92 धारा - 147 /148/149/447/307/ भा०द०वि० एवं 25,27/35 आर्म्स एक्ट अंकित किया गया । इससे संबंधित दूसरा कांड मो० कौसर अली उर्फ तमन्ना का के बयान पर अंकित किया गया जो बहादुरपुर थाना कांड सं०- 44/92 दिनांक 18.5.92 धारा- 147/148/149/325/307/389 भा०द०वि० एवं

27 आर्म्स एक्ट है।

जीवछ कामती एवं महेश ठाकुर को बहादुरपुर थाना कांड सं०- 43/92 के वादी पक्ष द्वारा अग्नेयास्त्र के साथ पुलिस के आने के बाद सुपुर्द किया गया। जीवछ कामती के पास से देशी पिस्तौल एवं जिन्दा गोली तथा महेश ठाकुर के पास से एक दाढ़ी बनाने वाला छूरा के साथ कांड सं०- 43/92 के वादी पक्ष द्वारा पुलिस को सुपुर्द किया गया । अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से इस कांड में अग्नेयास्त्र का आरोप पाया गया।

यह बात सही है कि दिनांक 6.6.92 को ओगियारा ग्राम के जीवछ ठाकुर एवं राम स्वार्थ ठाकुर की अस्सी ग्राम तीन बटिया बुच्ची झा के बगीचा के सामने कच्ची सड़क पर कर दी गयी । इस संबंध में बहादुरपुर थाना कांड सं०- 55/92 दिनांक 6.6.92 धारा 302/201 भा० द० वि० के विरूद्ध अर्हत के अंकित किया गया ।

जहां तक हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु जन समुदाय द्वारा प्रदर्शन करने पर प्रशासन द्वारा लाठी चलाने पर घायल की बात है सत्य नहीं है। यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा विधि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए वहादुरपुर प्रखण्ड के सभी आग्नेयास्त्र लाईसेंसधारियों को बन्दूक जमा करने का आदेश दिया गया। जहां तक अपराधी को छूट देने एवं पुलिस पदाधिकारी के सामने घुमते देखे जाने का प्रश्न है, वह बिल्कुल सत्य से परे है, क्योंकि बहादुरपुर थाना कांड सं०-53/92 में प्राथमिकी के 16 अभियुक्तों के विरूद्ध कांड किया गया जिसमें से 9 अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण किया एवं दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल

भेज दिया गया । दो जमानत पर है और तीन अभियुक्त फरार है जिसे गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

बहादुरपुर थाना कांड सं०- 44/92 में प्राथमिकी के तीन के अलावे अन्य 100 व्यक्तियों के विरूद्ध अंकित किया गया जिसमें से 10 अभियुक्त जमानत पर है और अभियुक्तों के गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

साथ ही बहादुरपुर थाना कांड सं०- 55/92 में 8-10 अज्ञात नवयुवक आई०पी०एस० कार्यकर्ता के विरूद्ध अंकित किया गया जिसमें अभी तक 13 अभियुक्त के विरूद्ध कांड सत्य पाया गया, जिसमें से तीन अभियुक्त (1) हरि पासवान (2) राम सुन्दर मांझी (3) मनोज कुमार मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं शेष 12 अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की जब्ती न्यायालय से प्राप्त किया गया तथा 5 अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की जब्ती का तामिला किया जा चुका है।

यह उल्लेखनीय है कि इस कांड में प्रयोग किया गया अग्नेयास्त्र को दिनांक 10.12.92 की रात्रि में दरभंगा पुलिस एवं समस्तीपुर के पटोरी के पुलिस द्वारा गौर गाँव के राम सुन्दर मांझी के घर से छापामारी कर बरामद किया गया और बरामद खोखा के मिलान कराने पर विशेषज्ञ ने उसी अग्नेयास्त्र से हुई गोली का खोखा बतलाया है।

श्री महेन्द्र झा "आजाद":- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि 17.5.92 को झंझट हुई थी उसके पूर्व ग्राम जोगियारा के सरपंच और मुखिया ने एक रिपोर्ट आयुक्त को दिया था कि हमारे गांव

में आतंकवादी लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, उत्तेजित नारे लगा रहे हैं, अग्नेयासत्र लेकर घूम रहे हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- यह ध्यानाकर्षण में नहीं है। यह सूचना हम ग्रहण करते हैं।

श्री महेन्द्र झा "आजाद" :- अध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों को गांव के लोगों ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। एस०पी० ने उनको छोड़ दिया। उसी के चलते एक हफ्ते के बाद दो आदमियों की हत्या उन लोगों के द्वारा कर दी गयी। आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि यह सही है या नहीं?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जिस बात को माननीय सदस्य ने कहा, बल्कि पुलिस अधिकारी ने अनुसंधान पर्यवेक्षण करने के बाद असत्य पाया, उनके पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था जिस कारण छोड़ दिया गया ।

श्री महेन्द्र झा "आजाद":- अध्यक्ष महोदय, जब गाँव वालों ने निर्दोष को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उसे निर्दोष साबित किया, तो फिर गाँव वालों के ऊपर पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :-महोदय जब गांवों ने आरोप लगाया उसकर जाँच पर्यवेक्षक किया गया जांच के आधार पर ही कार्रवाई की गई।

श्री महेन्द्र झा आजाद :- हुजूर, जब उस मुजरीम को छोड़ दिया गया, तो हत्या के पूर्व एक पर्चा निकाला गया जिस पर्चा में खुलेआम नाम दिया गया कि उस गांव के लोगों की हत्या करेंगे। 6 तारीख के बाद पुष्टि भी की गयी

थी। जिस संगठन के द्वारा हत्या के लिए पूर्व में पर्चा निकाला गया और हत्या की बात पुष्टि के साथ दोहरायी गयी। पुलिस की नजर में वे लोग निर्दोष कैसे साबित हो गये। हम इसका औचित्य नहीं समझ रहे हैं?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- यह बात जाँच में आयेगी।

श्री महेन्द्र झा "आजाद":- अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन दो आदमियों की हत्या की गयी है, एक आदमी के पास 10 कट्ठा और दूसरे आदमी के पास 2 बीघा जमीन है। लहेरिया सराय से दो कि०मी० दूर पर हत्या की गयी। जब इसकी जानकारी मिली तो जोगियारा और आसपास के काफी लोग इकट्ठे हो गये, उन पर पुलिस द्वारा लाठी चलाई गयी। महोदय, इसकी जाँच की गयी थी। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच सी०आई० डी०के डी०आई० जी० से कराने का विचार सरकार रखती है? और जो पदाधिकारी उन अभियुक्तो को छोड़ दिया उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहती है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि तीन आदमियों सर्वश्री हरी पासवान, राम सुन्दर मांझी और मनोज कुमार मांझी को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया । शेष 12 अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की जब्ती न्यायालय से प्राप्त किया गया है तथा 5 व्यक्तियों के विरूद्ध कुर्की जब्ती आदेश के लिए तामिला किया जा चुका है। कांड सं०- 44/92 में 10 व्यक्ति जमानत पर हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जारी है। पुलिस के अनुसंधान में जो बात आती है उसी पर पुलिस कार्रवाई करती है।

श्री कुमुद रंजन झा :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सरकार ने स्वीकार किया कि जिन जो व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस को दिया गया, एस०पी० ने उसे छोड़ दिया और उन्हीं दोनों व्यक्तियों ने हत्या की उसके बाद सरकार ने वहां के दारोगा को निलम्बित कर दिया हम जानना चाहते है कि आरक्षी अधीक्षक के स्तर पर इस तरह की अनियमितता हुई तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी? इसमें आरक्षी अधीक्षक इनभोल्व थे, किस आधार पर दोनों अभियुक्तों को छोड़ा गया, किस पैरबी पर छोड़ा गया?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, गाँव वाले ने पकड कर आग्नेयास्त्र के साथ पुलिस को सुपुर्द किया, जिस समय पकड़ा गया, उस समय पुलिस नहीं थी जबकि पुलिस द्वारा जो मुकदमा किया गया, उसमें, शस्त्र पाने की बात नहीं कही गई, यह पर्यवेक्षण में पाया गया है।

श्री कुमुद रंजन झा :- अध्यक्ष महोदय, यह भ्रामक उत्तर है। चूंकि उसी गांव में थाना है। दूसरी बात जब यह घटना हो गई तो आरक्षी और जिलाधिकारी ने यह आदेश दे दिया कि जितना भी उस गांव में हथियार है, सबको जमा कर लिया जाय।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट था और वह रिपोर्ट समाहर्त्ता को मिला, उसमें था कि दो गांव में आपसी तनाव है, भयंकर घटना हो सकती है, इसलिये एस०पी० और जिलाधिकारी ने बैठक करके विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिये लोकहित और जनहित में ऐसा किया गया।

श्री कुमुद रंजन झा :- अध्यक्ष महोदय, जब एस०पी० को जानकारी थी, तो किस आधार पर दो अपराधकर्मियों को पकड़कर एस०पी० नें छोड़ दिया। वैसे व्यक्तियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई कर रही है, नहीं तो इसकी जांच उच्चस्तरीय पदाधिकारी से कराया जाय।

श्री उपेन्द प्रसाद वर्मा:- अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी बिन्दुओं पर जवाब दे दिया है। वहां पर 144 धारा भी लागू हुआ था, स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट समाहर्त्ता को मिला था। इसलिये विधि- व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हथियार जमा कराने का निर्णय लिया गया।

श्री कुमुद रंजन झा :- अध्यक्ष महोदय, एक तरफ माननीय मंत्री कह रहे हैं कि स्पेशल ब्राच का रिपोर्ट था कि दो गांवों में आपसी तनाव है, किसी समय भयंकर घटना हो सकती है। दूसरी तरफ दो अपराधकर्मियों को पकड़कर आरक्षी आधीक्षक ने छोड़ दिया और वही व्यक्तियों ने वहां पर जा कर हत्या भी किया। सरकार दो तरह की नीति क्यों अपना रही है? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर आरक्षी अधीक्षक ने दो अपराध कर्मियों को पकड़ कर छोड़ दिया, जिसके कारण वहां पर घटना घटी।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जो घटना घटी है, उस पर कार्रवाई हुई है। जिस समय पकड़ा गया, उस समय पुलिस नहीं थी, इसलिये यह कहना कि गांव वाले ने पकड़ कर आग्नेयास्त्र के साथ पुलिस को सुपुर्द किया, यह गलत है। क्योंकि पर्यवेक्षण में भी आग्नेयास्त्र का आरोप असत्य पाया गया है।

श्री महेन्द्र झा "आजाद" :- अध्यक्ष महोदय, एस०पी० द्वारा दो अपराधकर्मियों को छोड़ने के कारण ही यह हत्या हुई है.......................

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दारोगा को क्यों सस्पेंड किया गया. ....

श्री कुमुद रंजन झा :- अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आरक्षी अधीक्षक ने दो अपराध कर्मियों को पकड़ कर छोड़ दिया, इन्हीं अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या भी हुई, इसलिये इसमें दारोगा को क्यों सस्पेंड किया गया? जो दोषी थे, उनके विरूद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की गई, किस आधार पर दारोगा को सस्पेंड किया गया। दूसरी बात उस इलाके के हथियार जमा क्यों कर लिये गये? सरकार गोल-मटोल जवाब दे रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि तमाम मामलों की जांच डी०आई०जी०, सी०आई०डी० से कराना चाहते हैं?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जाँच करा देंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण को स्थगित किया जाय और जांच कराकर फिर इसका जवाब दिया जाय।

अध्यक्ष :- माननीय मंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच डी०आई०जी०, सी०आई०डी० से करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आरक्षी अधीक्षक द्वारा दो अपराध कर्मियों को पकड़ कर छोड़ दिया गया, इन्हीं अपराधकर्मियों द्वारा हत्या भी

हुई, इसमें दारोगा को क्यों सस्पेंड किया गया। दारोगा ने कहा था कि गलत आदेश हो रहा है, इसलिये उनको सस्पेंड कर दिया गया । जो मुख्य अभियुक्त थे, उनको छोड़ दिया गया, जिसके कारण गांव के लोग मारे गये, यह बहुत आपत्तिजनक बात है।

आप इसकी जांच डी०आई०जी०, सी०आई०डी० से करा देंगे।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- ठीक है।

अत्यावश्यक लोक महत्व की विषय पर ध्यानाकर्षण:

(क) निबंधन शुल्क में भारी बढ़ोत्तरी:

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- समय चाहिए।

अध्यक्ष :- कौन तारीख?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- बाद में बतला देंगे।

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण ऑलरेडी चार बार स्थगित हो चुका है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- सरकार को समय लेने का अधिकार है।

श्री रघुनाथ झा :- अध्यक्ष महोदय, सरकार के इस निर्णय से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार जवाब देने में कतरा रही है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा:- अध्यक्ष महोदय, कल इसका जवाब दे दिया जायेगा।